संख्या-87/2022/324/22-4-2022-107(ब)/12टीसी

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-31 मार्च, 2022

विषय- प्रदेश की कारागारों में प्रथम चरण में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की पुर्नस्थापना तथा 30 कारागारों में स्थापित सीसीटीवी की संख्या में विस्तार एवं सर्वर आदि की व्यवस्था कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10464/अधु-1/सीसीटीवी/वो-5/2022, दिनांक-30.03.2022 एवं शासनादेश संख्या-38/2022/216/22-4-2022-107(ब)/12टीसी, दिनांक-16.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-28.03.2022 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश की कारागारों में प्रथम चरण में स्थापित सीसीटीवी कैमरों का पुर्नस्थापन तथा 30 कारागारों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या में विस्तार एवं सर्वर आदि की व्यवस्था गवर्मेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-9,75,89,330.00 मात्र (रूपया नौ करोड़ पचहत्तर लाख नवासी हजार तीन सौ तीस मात्र) को मैसर्स स्टेक्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गुडगॉव, हरियाणा के पक्ष में उक्त सीमा तक कार्य कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/ महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक-31-03-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा|

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-87/2022/324(1)/22-4-2022-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उ**द्योग** (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उ**द्य**म विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।